भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1291

11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017

1291. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त पुनरुद्धार योजना राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के उद्देश्यों से जुड़ी है;

(ग) क्या सरकार विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को आधुनिक बनाने और इसकी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को एक कार्यशील व्यवसाय (गोईंग कंसर्न) के रूप में जारी रखने के उद्देश्य से, आरआईएनएल में इक्विटी पूंजी के रूप में ₹10,300.00 करोड़ के निवेश (सितंबर, 2024 में आपातकालीन निधि के रूप में पहले से उपलब्ध कराए गए ₹500.00 करोड़ सहित) तथा ₹1140.00 करोड़ के कार्यशील पूंजी ऋण के 10 वर्ष के उपरांत मोचनीय 7% असंचयी अधिमानित शेयर पूंजी के रूप में संपरिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख): आरआईएनएल के पास इसकी पूर्ण संस्थापित क्षमता पर प्रतिवर्ष 7.3 मिलियन टन तरल इस्पात तथा 6.7 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात उत्पादित करने की क्षमता मौजूद है। भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान 144.2 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का स्तर प्राप्त किया। आरआईएनएल का पुनरूद्धार राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

(ग) और (घ): सरकार का अनुमोदन आरआईएनएल के क्षमता उपयोग को मौजूदा लगभग 63% के स्तर से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) तक 92.5% तक बढ़ाने से संबद्ध है।

****